कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या –395/2018 निर्णय दिनांक :–05.02.2021

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. श्योजी पुत्र श्री सुगना जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. धापू बेवा सुगना जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. पुखराज पुत्र स्व0 श्री बच्छाराज जाति महाजन निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मेघराज पुत्र स्व0 श्री बच्छाराज जाति महाजन निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. बुद्धिप्रकाश पुत्र स्व0 श्री बच्छाराज जाति महाजन निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री बच्छाराज जाति महाजन निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. पारसी पुत्री स्व0 श्री बच्छाराज जाति महाजन निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. लीला देवी पत्नि दिनेश जाति धाकड़ निवासी पुर्नवास कॉलोनी द्वितीय पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. मांगी देवी पत्नि काना जाति माली निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. संगीता देवी पत्नि विनोद कुमार जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. ममता पत्नि धर्मचन्द जैन जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थितिः–

श्री धर्मराज गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी गण संख्या 1 ता 9

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या 721 खसरा नं0 333 रकबा 1.41 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम पनवाड पटवार

हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। जिसमे उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण नं0 1 का 4/5 हिस्सा व प्रार्थीगण नं0 2 का 1/5 हिस्सा है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के पास में ही मृतक बच्छराज के वारिसान प्रतिवादीगण 0 1 ता 5 की खसरा नं0 323, 324, 325 व प्रतिवादीगण नं0 6 की खसरा नं0 326 व प्रतिवादीगण नं0 7 ता 9 की खसरा नं0 335 व प्रतिवादीगण नं0 10 की खसरा नं0 336 राजकीय भूमि वाके पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में रिकार्डली रास्ता विद्यमान नही है और प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के निकट प्रतिवादीगण की प्रार्थना पत्र का चरण नं0 02 में वर्णित भूमि के खसरा नं0 325 व खसरा नं0 326 मध्य में स्थित मेड़ मे होकर पश्चिम से पूर्व में स्थित खसरा नं0 336 किस्म राजकीय भूमि व खसरा नं0 335 की मेड़ में होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी कृषि भूमि की हकाई, जुताई फसल काश्त करने के लिये अपनी भूमि/जोत खसरा नं0 333 में आते जाते है। वर्तमान में वहां पर अस्थायी रास्ता बना हुआ है व इसके अलावा प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लिये निकट में अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ता सुविधाजनक व सुगम रास्ता है। उक्त वर्णित भूमि में रिकार्डली रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है और प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण 1 ता 9 द्वारा ऐलानीया धमकी देते है कि हम लोग हमारी खातेदारी भूमि में से आपके खेत काश्त करने के लिये खातेदारी की भूमि मे से नही निकलने देगें। जिससे मौके पर गम्भीर विवाद की स्थिति बनी हुई है। उक्त रास्ते को लेकर प्रार्थीगण काफी परेशान है। उक्त वर्णित भूमि वर्तमान में खाली व प्रार्थना पत्र का चरण नं0 02 में भी उक्त सम्पूर्ण भूमि खाली है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिये उक्त भूमि के अलावा रास्ता विद्यमान नही है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से अपनी सुविधा अनुसार 20 फिट का रास्ता दिया जाना न्याय हित में नितान्त आवश्यक है। जमाबन्दी में खातेदार बच्छराज की मृत्यु होने के कारण बच्छराज के वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया जो प्रतिवादीगण 1 ता 5 है। वर्तमान मृतक बच्छराज का विरासत का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड अमल दरामद नही है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण 1 ता 9 के विरूद्ध बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार ने जवाब/ रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:-मौके पर ख0नं0 325, 323, 336 व 335 ग्राम पनवाड में होकर जाने हेतु मिट्टी रोड बना है जो खातेदारी भूमि में होकर है जिसमें से होकर आवेदक को आने जाने से संबंधित खातेदार मना करते है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।

10.1.20

प्रार्थी को चौडाई 4 मीटर वांछित है व लम्बाई निम्नानुसार बनती है

ख0न0	लम्बाई(मी0)	चौडाई(मी0)	क्षेत्रफल(मी0)
325	40	4	160
326	100	4	400
335	80	4	320
336	28	4	112

उक्तानुसार मूल 992 वर्ग मी0 भूमि संलग्न नक्शानुसार प्रस्तावित है। आराजी पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता चाहने वाली भूमि की वर्तमान डी एल सी दर 559212/— रूपये प्रति ऐयर है, दुगुनी दर से प्रतिकार राशि 1118425/— रूपये बनते है। आवेदित ख0नं0 333 की खातेदारी भूमि श्योजी पुत्र सुगना हिस्सा 4/5 व धापू बेवा सुगना हिस्सा 1/5 कौम माली सा0दे0 खातेदार के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। ख0नं0 326 में खम्भे व तार खीचे हुए है। अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ते में ख0नं0 336 सिवायचक दर्ज है तथा ख0नं0 325 पर राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन है। ख0नं0 326 व 335 खातेदारी भूमि है। प्रस्तावित रास्ता दिये जाने हेतु अप्रार्थीगण सहमत नही है। आवेदित प्रस्तावित ख0नं0 325 पर राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन है। बिन्दुसार रिपोर्ट मय नक्श ट्रेश व नकल जमाबंदी संलग्न प्रेषित है। संलग्न रिपार्ट भू0अ0नि0 छायाप्रति,नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी प्रति ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ते के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने कथन किया कि ख. नं. 325 पर राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन है। ऐसी स्थिति में रास्ता की तरमीम करना उचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण ख. नं. 325, 326, 335 व 336 में से रास्ता चाहता है परन्तु ख. नं. 325 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का स्थगन है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बरों में एक खसरा नम्बर पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का स्थगन होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली